

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी
(जिला योजना शाखा)

अति अल्पकालीन निविदा

COVID-19 के रोकथाम हेतु आकांक्षी जिला योजना मद से क्रय हेतु जिला स्तर पर निम्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दिनांक 09/06/2020 के अपराह्न 01:00 बजे तक Reputed Firms/Manufactures or their authorized Agents/Dealers से अति अल्पकालीन निविदा जिला योजना कार्यालय, खूँटी में आमंत्रित की जाती है :-

SI No.	Items	Specification
1.	BMW Colour Coded Polly Bags 30 Ltr.	Vergin Plastic 50 Micron
2.	Colour Coded Bins 25Ltr./80 Ltr. with Wheel	-
3.	Crash Cart	L-960 mm, W-500 mm, H-1545 mm
4.	Refrigerator	220 Ltr.
5.	Finger Pro Pulse Oximeter	Finger tip-digital display of SPO2 & HR suitable for adult patient.
6.	Hot & Cold Dispenser Water	Voltas 6210209 2.5 L Mini Magic –R Plastic Water Dispenser (34x40x102 cm)

7. Aqua Spray Machine

Motor Power 1.500W, Max Pressure 12.5 bar, Max Flow Rate 360L/H

प्राप्त अति अल्पकालीन निविदा दिनांक 09/06/2020 के अपराह्न 04:00 बजे सिविल सर्जन, खूँटी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से संबंधित एवं विस्तृत जानकारी तथा सामग्रियों की सूची का अवलोकन खूँटी जिला के वेबसाईट <http://www.khunti.nic.in> पर देखा जा सकता है।

ह0/-
उपायुक्त,
खूँटी।

1. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial Bid) संबंधी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग-अलग अंकित करना होगा।

तकनीकी बीड (Technical Bid) :-

- I. तकनीकी बीड में आयकर देने संबंधी निबंधन संख्या एवं दो वित्तीय वर्ष का अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा। फर्म/प्रोपराईटर के नाम से निर्गत आयकर रिटर्न ही मान्य होगा।
- II. बिक्रीकर एवं GST निबंधन संबंधी अद्यतन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

- III. प्रत्येक निविदादाता को उपायुक्त, खूँटी के नाम से भुगतेय 25,000/- (पचीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित राशि तकनिकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।
- IV. तकनिकी बीड के साथ पूर्व में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- V. फर्म का काली सूची में नाम नहीं होने संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।

वित्तीय बीड (Financial Bid) :-

- I. वित्तीय बीड के लिफाफे में सामग्रियों का दर प्रति अदद अंकित करना होगा।
- II. प्रत्येक निविदादाताओं को मानक स्तर का नमूना भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- III. सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित अवधि में नमूना के अनुरूप करने संबंधी शपथ पत्र कार्यादेश निर्गत होने पर संलग्न करना होगा। समय पर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए काली सूची में डाला जा सकता है।
- IV. आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।
- V. कार्यालय या कार्यस्थल तक सामग्रियों को लाने या वापस ले जाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- VI. निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- VII. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फर्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।


उपायुक्त,
खूँटी।